



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 चैत्र 1944 (श10)

(सं० पटना 154) पटना, वृहस्पतिवार, 31 मार्च 2022

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

31 मार्च 2022

सं० एम-01-03/2022-11—91—बोचहाँ (अ०जा०) विधान सभा उप निर्वाचन, 2022 के अवसर पर ई०वी०एम०/वीवीपैट का उपयोग करने से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का निदेश सं०-576/3/EVM.2022/SDR/Vol-II दिनांक 25.03.2022 एवं पत्रांक- 576/3/EVM.2022/SDR/Vol-II दिनांक 28.03.2022 (शुद्धिपत्र) सर्वसाधारण की जानकारी के लिए हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
मिथिलेश कुमार साहु,
संयुक्त सचिव—सह—संयुक्त
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

भारत निर्वाचन आयोग

निदेश

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001/ दिनांक 25 मार्च, 2022/08 चैत्र, 1944 (शक)

सं. 576/3/ईवीएम/2022/एसडीआर/खण्ड-II—यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क में यह प्रावधान किया गया है कि वोटिंग मशीनों द्वारा मतदान और मतों का अभिलेखन ऐसी रीति, जैसी कि निर्धारित की जाए, से ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में अपनाया जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करें; और

2. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के परन्तुक के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यथाअनुमोदित डिजाइन वाले ड्रॉप बॉक्स सहित एक प्रिंटर, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों या उसके भागों में मतों के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए मतदान मशीन के साथ भी जोड़ा जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निदेश दिया जाए; और

3. यतः, निर्वाचन आयोग ने दिनांक 12 मार्च, 2022 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./32/2022 के तहत घोषित पश्चिम बंगाल के 40-आसनसोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं 161-बालीगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, और छत्तीसगढ़ के 73-खैरागढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, बिहार के 91-बोचहॉ (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और महाराष्ट्र के 276-कोल्हापुर उत्तर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए सभी निर्वाचन क्षेत्रों की परिस्थितियों पर विचार किया है, और निर्वाचन आयोग संतुष्ट है कि सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करवाने के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें तथा पेपर ट्रेल [वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट)] मुद्रित करने के लिए प्रिंटर उपलब्ध हैं, मतदान कार्मिक, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा वीवीपैट प्रिंटर के दक्षतापूर्ण संचालन करने के लिए पूर्ण प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) एवं वीवीपैट प्रिंटर्स की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं।

4. अतः, अब भारत निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 61क तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा दिनांक 12.03.2022 को अधिसूचित किए गए पश्चिम बंगाल के 40-आसनसोल संसदीय क्षेत्र एवं 161-बालीगंज विधानसभा क्षेत्र, और छत्तीसगढ़ के 73-खैरागढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, बिहार के 91-बोचहॉ (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और महाराष्ट्र के 276-कोल्हापुर उत्तर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, जहां निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन तथा इस विषय में आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुपूरक अनुदेशों के अंतर्गत विहित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा वीवीपैट प्रिंटर के माध्यम से मत डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगे।

5. निर्वाचन आयोग, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा यथा-विकसित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपैट प्रिंटर्स, जिन्हें सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मत डालने और रिकॉर्ड करने के लिए उपर्युक्त मशीनों से जोड़ा जाएगा, के डिजाइन को भी एतद्वारा अनुमोदित करता है।

आदेश से,
अश्वनी कुमार मोहल,
सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

शुद्धि-पत्र

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001/ दिनांक 28 मार्च, 2022/7 चैत्र, 1944 (शक)

आयोग के आदेश सं. 576/3/ईवीएम/2022/एसडीआर/खण्ड-II, दिनांक 25 मार्च 2022 के हिन्दी प्रारूप के पैरा 4 के 'दिनांक 12.03.2022' के स्थान पर 'दिनांक 17.03.2022' को प्रतिस्थापित किया जाए।

आदेश से,
बिनोद कुमार,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

DIRECTION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001 Dated: 25th March, 2022/ 08 Chaitra, 1944 (Saka)

No. 576/3/EVM/2022/SDR-VOL-II--Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituency or constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case, specify; and

2. Whereas, as per the proviso to Rule 49A of the Conduct of Election Rules, 1961, a Printer with a drop box of such design, as may be approved by the Election Commission of India, may also be attached to voting machine for printing a paper trail of the vote, in such

constituency of constituencies or parts there of as the Election Commission of India may direct; and

3. Whereas, the Election Commission has considered the circumstances in current bye-election in 40-Asansol parliamentary Constituency of West Bengal and 161-Ballygunge Assembly Constituency of West Bengal, 73-Khairagarh Assembly Constituency of Chhattisgarh, 91-Bochahan (SC) Assembly Constituency of Bihar and 276-Kolhapur North Assembly Constituency of Maharashtra announced vide the Election Commission's Press Note No.- ECI/PN/32/2022 dated 12th march, 2022 and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines (EVMs) and Printers for Printing Paper Trail [Voter Verifiable paper Audit Trail (VVPAT)] are available for taking the poll in above said UT & States, the Polling personnel are well trained in efficient handling of EVMs and 'VVPAT Printers' and the electors are also fully conversant with the operation of the EVMs and the VVPAT Printers;

4. Now, therefore, the Election Commission of India, in exercise of its powers under the said Section 61A of the Representation of the people Act, 1951, and Rule 49A of the Conduct of Election Rules, 1961, hereby specifies 40-Asansol Parliamentary Constituency of West Bengal and 161-Ballygunge Assembly of West Bengal, 73-Khairagarh Assembly Constituency of Chhattisgarh, 91-Bochahan (SC) Assembly Constituency of Bihar and 276-Kolhapur North Assembly constituency Maharashtra notified on 17-03-2022, as the constituencies in which the votes shall be given and recorded by means of EVMs and VVPAT printers in the manner prescribed, under the conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Election Commission from time to time on the subject.

5. The Election Commission also hereby approves the design of EVMs and VVPAT Printers as developed by the Bharat Electronics Ltd., Bangalore and Electronics Corporation of India Ltd., Hyderabad, which shall be attached to the said machines, to be used for the giving and recording of votes in all the Constituencies.

By Order,
Ashwani Kumar Mohal,
SECRETARY.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

CORRIGENDUM

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001 Dated: 28th March, 2022/ 7 Chaitra, 1944 (Saka)

No. 576/3/EVM/2022/SDR/VOL-II--In Para 4 of the Hindi Version of the Commission's said Direction No. 576/3/EVM/2022/SDR/Vol.II dated 25th March, 2022 for the dated 12-03-2022, the dated "17.03.2022" shall be substituted.

By order,
Binod Kumar,
SECRETARY.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 154-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>